PWD2-CW/R/87/2023-III-2-Public Works Department

158559/2023

ई0 फाईल संख्या62543-

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी।

लोक निर्माण अनुभाग2- देहरादूनः दिनांक 05 अक्टूबर,2023

विषयः राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के विभिन्न 06 निर्माण कार्यो की सुवीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-2771/01याता(रूद्रपुर)-हल्द्वानी/2022 दिनांक 27.06.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणनों के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त पायी गयी निम्नलिखित कमियों का निराकरण कर निराकरण आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

क्रसं0	कार्य का नाम	अभ्युक्ति
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में ग्राम बकैनिया के अन्तर्गत इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	**1.** आगणन में एम्बैंकमेन्ट हेतु ली गयी मिट्टी के कार्य के क्रॉस-सैक्शन संलग्न नहीं है। **2.** मार्ग पर ड्रेनेज के सम्बन्ध में कोई विवरण संलग्न नहीं किया गया है। मार्ग का ना तो एल0-सैक्शन संलग्न किया गया है, ना ही कोई क्रॉस ड्रेनेज कार्य प्राविधानित किया गया है।
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में मदनापुर-चरनपुर मार्ग के किमी0 5 (श्यामनगर) से चन्दायन तक में पी0सी0 द्वारा सतह सुधार का कार्य। (विस्तृत आगणन)	**1.** आगणन में पी0सी0 का कार्य VG-10 बिटुमिन से प्रस्तावित किया गया है। शासनादेश संख्या- 1191/III(2)2023-02(सा0)/2023, लोक निर्माण अनुभाग-2, देहरादून, दिनांक 03.04.2023 के अनुपालन में इसे Emulsion से प्रस्तावित किया जाना है। **2.** पटरी में मिट्टी का कार्य 20 सेमी0 Compacted मोटाई में प्रस्तावित किया गया है, परन्तु इसका औचित्य संलग्न नहीं किया गया है।
3.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में चन्दननगर प्लानटेशन मार्ग में किमी0 2 में पी0सी0 द्वारा सतह सुधार का कार्य। (विस्तृत आगणन)	**1.** आगणन में पी0सी0 का कार्य VG-10 बिटुमिन से प्रस्तावित किया गया है। शासनादेश संख्या- 1191/III(2)2023-02(सा0)/2023, लोक निर्माण अनुभाग-2, देहरादून, दिनांक 03.04.2023 के अनुपालन में इसे Emulsion से प्रस्तावित किया जाना है। **2.** पटरी के कार्य हेतु ₹ 75.10 प्रति वर्ग मीटर की दरें ली गई हैं, परन्तु इन दरों में निर्धारित मोटाई में मिट्टी के कार्य किये जाने का औचित्य संलग्न नहीं किया गया है।
4.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में मिलखखानम मार्ग से कनकटा ग्राम तक मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य। (विस्तृत आगणन)	1. आगणन में पी0सी0 का कार्य VG-10 बिटुमिन से प्रस्तावित किया गया है। शासनादेश संख्या- 1191/III(2)2023-02(सा0)/2023, लोक निर्माण अनुभाग-2 , देहरादून, दिनांक 03.04.2023 के अनुपालन में इसे Emulsion से प्रस्तावित किया जाना है। 2. आगणन में 36 स्थानों पर मार्ग की Existing Crust माप कर संलग्न की गयी है और सभी स्थानों पर उपलब्ध क्रस्ट 20 से0मी0 ही पायी गयी है,

		जो कि व्यवहारिक/उचित प्रतीत नहीं होता है। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता चैक कर आख्या प्रस्तुत करें। 3. पटरी हेतु मिट्टी की मोटाई 15 सेमी0 Compacted ली गयी है, परन्तु इसका औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है।
5.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में कालीनगर मुख्य बाजार से उदयनुर ग्राम तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1. आगणन के प्रतिवेदन में अवगत कराया गया है कि मार्ग पूर्व निर्मित है, परन्तु मार्ग के दोनों ओर पूर्ण लम्बाई में ब्रिक मेसनरी में एज वॉल का प्राविधान किया गया है। पूर्व निर्मित मार्ग/आबादी वाले भागों में एज वॉल का प्राविधान उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इसका औचित्य प्राप्त किया जाना आवश्यक है। 2. आगणन में संलग्न क्रॉस सैक्शन से परिलक्षित होता है कि मार्ग के दोनों ओर खेत हैं। यदि मार्ग पर ड्रेनेज की समस्या नहीं है तो मार्ग को टाईल्स में प्राविधानित किये जाने का औचित्य भी प्राप्त किया जाना आवश्यक है। 3. आगणन में पूर्व निर्मित मार्ग पर Existing Crust मात्र 10 सेमी0 ली गयी है, जो उचित प्रतीत नहीं होती है। 4. आगणन में पटरी में मिट्टी में कार्य को प्राविधानित नहीं किया गया है। स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
6.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के अन्तर्गत खोखन पाडा (कालीनगर) में इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1. आगणन के प्रतिवेदन के अनुसार मार्ग के दोनों ओर आबादी भाग है। आबादी भाग में मार्ग के दोनों ओर एज वॉल प्रस्तावित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। 2. मार्ग के ड्रेनेज के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। आबादी भाग में कहीं भी नाली का प्राविधान नहीं किया गया है। ड्रेनेज विषयक आख्या प्राप्त की जानी आवश्यक है। 3. आगणन में पूर्व निर्मित मार्ग पर Existing Crust मात्र 10 सेमी0 ली गयी है, जो उचित प्रतीत नहीं होती है। 4. आगणन में शॉल्डर में मिट्टी के कार्य को प्राविधानित नहीं किया गया है। स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 03-10-2023 18:01:20

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर।
3. - अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
''नियोजन–।'' उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 1182 / 20 याता0'क'नियो0–1 / 2023 दिनांक– 17 .10.2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, ~~देहरादून~~ हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय ''वैबसाईट'' पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून